अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

सरकार बनाम रामकिशन वगै0

किस्म मुकदमा–177 आर0टी0ए0 मु0नं0–04 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/25	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.07.2024 से पत्रावली कायम मुकाम हेतु लंबित है लेकिन आज दिनांक तक तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कायम मुकाम पेश नहीं किए गए है। वादी के प्रकरण में बार बार अनुपस्थित रहने पर न्यायालय हाजा द्वारा कार्यालय पत्रांक रीडर / 2025 / 78 दिनांक 11.03.2025 द्वारा कायम मुकाम पेश करने हेतु आदेशित किया गया लेकिन उक्त के बाद भी वादी द्वारा कायम मुकाम पेश नहीं किए गए है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी प्रकरण में पैरवी को लेकर गंभीर नहीं है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश प्रकरण अ0धा0 177 आर0टी0ए0 प्रतिवादी संख्या 11 की हद तक अबेट किया जाता है। तथा प्रकरण में वादी अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अ0धा0 177 आर0टी0ए0 अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायाल में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	